कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर, पिन-844102)

ईमेल: deovaishali.edn@gmail.com, deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय आदेश

प्रधानाध्यापक, आर० के० उच्च विद्यालय, चाँदपुरा, प्रखंड- बिदुपुर के माध्यम से अग्रसारित अभ्यावेदन एवं संलग्न संगत अभिलेखों यथा चिकित्सकीय पुर्जे एवं शपथ-पत्र के आलोक में उक्त विद्यालय में पदस्थापित श्रीमती प्रियम्बा प्रियदर्शनी, विद्यालय अध्यापक को प्रथम संतान हेतु मातृत्व अवकाश की स्वीकृति का मामला विचाराधीन है।

अतः समर्पित आवेदन पत्र एवं संलग्न आवश्यक कागजातों के अवलोकन के उपरांत श्रीमती प्रियम्बा प्रियदर्शनी, विद्यालय अध्यापक को दिनांक 21.07.2026 से 15.01.2027 तक कुल 179 (एक सौ उनासी) दिनों का मातृत्व अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक उक्त अवकाश को सेवा पुस्तिका में संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

इनके मातृत्व अवकाश की अंतिम स्वीकृति अवकाश उपभोग करने के उपरांत आवश्यक अभिलेख यथा- बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र (सरकारी कार्यालय से निर्गत), चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व का अभ्यावेदन एवं अवकाश उपभोग के पश्चात विद्यालय में योगदान किए जाने से संबंधित अभ्यावेदन समर्पित करने के उपरांत दी जाएगी। उपरोक्त अवकाश की अवधि में इन्हें नियमानुसार नियमित रूप से वेतन भुगतान देय होगा।

16-7-26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

16/7/26

ज्ञापांकः ......1487...... दिनांक: 16..../07../2026

प्रतिलिपिः- वरीय कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली) / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली / एच०आर०एम०एस० अंतर्गत वेतन भुगतान शाखा (मेकर/चेकर), कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली / प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिदुपुर / प्रधानाध्यापक, आर० के० उच्च विद्यालय, चाँदपुरा, प्रखंड- बिदुपुर एवं श्रीमती प्रियम्बा प्रियदर्शनी (विद्यालय अध्यापक), आर० के० उच्च विद्यालय, चाँदपुरा, प्रखंड- बिदुपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16-7-26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

16/7/26